न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर०ए०एस०
मिसल संख्या

40 / 2025	**तारीख दायरा**	**तारीख फैसला**
	02 / 04 / 2025	25/06/**2025**

रामभरोसी बाई पत्नी परसराम उम्र 54 वर्ष जाति बेरवा निवासी आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादीया

–बनाम–

1 रामनिवास पुत्र पांच्या
2 उगन्ता पुत्री जग्गा
3 कालूलाल पुत्र जग्गा
4 जगदीश पुत्र जग्गा
5 बदाम पुत्री जग्गा
6 ममता पुत्री जग्गा
7 मोहनलाल पुत्र जग्गा
8 मोत्या पत्नी जग्गा
9 कमलेश पुत्री बद्री
10 गिर्राज पुत्र बद्री
11 पिंकी पुत्री बद्री
12 रघुवीर पुत्र बद्री
13 बरज्या पुत्र पांच्या
14 रामकंवरी पुत्री पांच्या
15 रामपति पुत्री मथुरा
16 हीराबाई पत्नी मथुरा
17 कविता पुत्री रामस्वरूप
18 एलमा पुत्री संतरा बाई
19 महावीर पुत्र संतराबाई
20 रणवीर पुत्र संतराबाई
21 सुलोचना पुत्री संतरा बाई जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
22 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह० पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88,89 आर०टी०एक्ट

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि माल ग्राम आसीदा पटवार हल्का वालूपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2071

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

2074 की खसरा नम्बर 9 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 41 रकबा 2.00 हैक्टर, कृषि आराजी मे प्रतिवादीगण कम 01 रामनिवास पुत्र पांच्या बेरवा का राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक वर्णित कृषि आराजी मे 1/7 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। यह कि दिनांक 03.05.2019 को प्रतिवादी कम 01 रामनिवास पुत्र पांच्या बेरवा ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से ग्राम आसीदा मे वर्णित खसरा नम्बर 9 रकबा 0.77 हैक्टर व खसरा नम्बर 41 रकबा 2.00 हैक्टर में निहित अपना सम्पूर्ण 1/7 हिस्सा की कृषि आरजी दिनांक 03.05.2019 को किमत 1,50,000 रूपये मे वादीया रामभरोसीबाई को बेचान कर दी। बेचान दिनांक से ही केता वादीया उक्त वर्णित आराजीयात् पर काबिज काश्त चली आ रही है। यह कि प्रतिवादी कम 01 रामनिवास पुत्र पांच्या बेरवा द्वारा वर्णित खसरा नम्बरान मे अपने हिस्से वाली वर्णित आराजी वादीया को बेचान करते समय रहन होने के कारण विक्रय पत्र दिनांक 03.05.2019 का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नही होने के कारण वादीया का नाम वर्णित आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद नही किया जा सका। यह कि प्रतिवादी कम 01 रामनिवास पुत्र पांच्या के हिस्से दर्ज रहन को मुक्त करवाने के लिये शाखा प्रबन्धक सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा इटावा द्वारा दिनांक 21.05.2021 को वर्णित आरजी को रहन, मुक्त करने का आदेश जारी किया उक्त आदेश पटवारी के पास दिया गया तो हल्का पटवारी द्वारा बताया कि वर्णित वर्तमान जमाबंदी मे प्रतिवादी कम 01 रामनिवास पुत्र पांच्या का हिस्सा 1/10 दर्ज हो रहा है। और विकय पत्र दिनांक 03.05.2019 में प्रतिवादी कम 01 रामनिवास पुत्र पांच्या द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/7 हिस्सा वादीया को विकय किया गया है। इसलिये वादीया को यह अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादी कम 01 रामनिवास पुत्र पांच्या के हिस्से दर्ज 1/10 हिस्से वाली कृषि आराजी से प्रतिवादी कम 01 का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दारामद किया जावें।

यह कि वाके माल ग्राम आसीदा पटवार हल्का बालूपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० में स्थित कृषि आराजी खसरा नम्बर 9 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 41 रकबा 2.00 हैक्टर, कृषि आराजी मे दर्ज प्रतिवादी कम 01 रामनिवास पुत्र पांच्या के 1/10 हिस्सा को दुरुस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादीया रामभरोसी बाई पत्नी परसराम जाति बैरवा निवासी आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० को 1/10 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करने हेतु प्रतिवादी कम 22 को आदेशित किया जावें।

वादी की ओर से वाद श्री श्याम बैरवा एड0 ने वाद पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये रजि0 एडी से की गई। प्रतिवादीकम 1 रामनिवास स्वयं उपस्थित हुआ। प्रतिवादीकम 2 लगायत 22 वावजूद सूचना उपस्थित नहीं करने पर प्रतिवादीकम 2 लगायत 22 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीकम 1 वाद पत्र को स्वीकार करते हुए सहमति का जवाब प्रस्तुत किया गया। शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी द्वारा साक्ष्य में वादीया रामभरोसी साक्ष्य के रू० में शपथ पत्र पेश किया। साक्ष्य शपथ पत्र में पदर्श 1

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–74 ख0नं0 41 ग्राम आसीदा, प्रदर्श 2 नकल जमाबन्दी 2075–78 ग्राम आसीदा ख0नं0 41, 9, प्रदर्श 3 विक्रय पत्र दिनांक 03.05.2019 पेश किए। साक्ष्य प्रतिवादी शपथ पत्र डी0डब्ल्यू 1 रामनिवास पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

कियात्मक आदेश

वकील वादी उप0। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्य का अवलोकन व बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज व साक्ष्यों से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपल्दा को आदेश दिया जाता है कि ग्राम आसीदा पटवार हलका बालूपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में स्थित कृषि आराजी ख0नं0 41 रकबा 2.00है0, ख0नं0 9 रकबा 0.77है0, भूमि में दर्ज प्रतिवादीकम 1 रामनिवास पुत्र पांच्या का 1/10 हिस्सा दुरस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादीया रामभरोसी बाई पत्नी परसराम जाति बैरवा निवासी आसीदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 को 1/10 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जावे।

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
40 / 2025	02 / 04 / 2025	25 / 06 / 2025

रामभरोसी बाई पत्नी परसराम उम्र 64 वर्ष जाति बैरवा निवासी आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादीया

–बनाम–

1 रामनिवास पुत्र पांच्या
2 उगन्ता पुत्री जग्गा
3 कालूलाल पुत्र जग्गा
4 जगदीश पुत्र जग्गा
5 बदाम पुत्री जग्गा
6 ममता पुत्री जग्गा
7 मोहनलाल पुत्र जग्गा
8 मोत्या पत्नी जग्गा
9 कमलेश पुत्री बद्री
10 गिर्राज पुत्र बद्री
11 पिंकी पुत्री बद्री
12 रघुवीर पुत्र बद्री
13 बरज्या पुत्र पांच्या
14 रामकंवरी पुत्री पांच्या
15 रामपति पुत्री मथुरा
16 हीराबाई पत्नी मथुरा
17 कविता पुत्री रामस्वरूप
18 एलमा पुत्री संतरा बाई
19 महावीर पुत्र संतराबाई
20 रणवीर पुत्र संतराबाई
21 सुलोचना पुत्री संतरा बाई जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
22 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह० पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88,89 आर०टी०एक्ट

निर्णय दिनांक:–25/6/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री श्याम बैरवा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

श होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम आसीदा पटवार हलका बालूपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में स्थित कृषि आराजी ख0नं0 41 रकबा 2.00है0, ख0नं0 9 रकबा 0.77है0, भूमि में दर्ज प्रतिवादीक्रम 1 रामनिवास पुत्र पांच्या का 1/10 हिस्सा दुरस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादीया रामभरोसी बाई पत्नी परसराम जाति बैरवा निवासी आसीदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 को 1/10 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिकी जारी की जाती है।
डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 25.6.25 को जारी किया गया।
निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प			स्टाम्प अर्जी		
वकालतनामा					
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी
इटावा